


21/3/25

आफु वरु पत्राणी - वरु - प्राणी वरु -
प्राणी प्रकृत वरु पा - वरु वरु वरु वरु
उरु - वरु - उरु वरु वरु वरु वरु वरु
प्राणी वरु - वरु - वरु - वरु - वरु वरु
वरु - वरु - वरु - वरु - वरु - वरु -
वरु

GCMS
2025/134

वरु - वरु - वरु


उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 45/25 Goms:-2025/134

दायर दिनांक:- 03-03-2025

सुमन पत्नी पृथ्वीराज मील जाति जाट साकिन हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर तहसील व जिला जयपुर राज०

-----प्रार्थीया

बनाम

- 1-राकेश कुमार पुत्र श्री रूपराम } अकवाम जाट साकिनान अमरपुरा तहसील
- 2- मायादेवी पत्नी जितेन्द्र } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०
- 3-अजय कुमार पुत्र श्री आशकरण जाति जाट साकिन फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर
- 4-शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा सूरतगढ ।
- 5- राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क), 209 आर टी ए

उपस्थित :-

- 1- श्री सूरज स्वामी अभिभाषक प्रार्थीया
- 2- श्री राजवीर भादू अभिभाषक अप्रार्थी न० 1 ता 3
- 3- पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न० 5



---:-- निर्णय ---:--

दिनांक:- 21.03.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया, अप्रार्थी न० 1 ता 3 के अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं० 151/6 के प०न० 64/381 मु०न० 26 के किला न० 21 ता 23/0.759 है० अ०क०, प०न० 64/382 मु०न० 27 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 10/1.518 है० अ०क० कुल 2.277 है० अ०क० खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं० 60/21 के प०न० 64/381 मु०न० 26 के किला न० 1-2-8 ता 13-18/2.277 है० अ०क०, प०न० 65/380 मु०न० 8 के किला न० 15/1 में 0.025 है० खाला, 15/3 में 0.089 है० अ०क०, 16/1 में 0.240 है० अ०क०, 16/2 में 0.013 है० खाला, 25/0.253 है० अ०क० = 0.620 है० अ०क० मय खाला, प०न० 65/381 मु०न० 25 के किला न० 4/1 में 0.240 है० अ०क०, 4/2 में 0.013 है० खाला, 5 ता 7-14-15/1.265 है० अ०क० =1.518 है० अ०क० मय खाला कुल 4.415 है० अ०क० मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न० 1 के नाम भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं० 153/6 के प०न० 65/381 मु०न० 25 के किला न० 16-17-23 ता 25/1.265 है० अ०क० खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न० 3 के नाम भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं० 154/6 के प०न० 64/381 मु०न० 26 के किला न० 19-20/0.506 है० अ०क० खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थीया अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एस एल डी में सूरतगढ से श्री विजयगनर चल रही पक्की रोड़ से अप्रार्थी सं० 1 व 2 की संयुक्त खाता की भूमि प०न० 65/380 मु०न० 8 के किला न० 15/3 में 0.0225 है० (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 16-25 प्रत्येक में 0.050 है० पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, प०न० 65/381 मु०न० 25 के किला न० 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है० पूर्वी पासा


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उत्तर से दक्षिण , अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 16 में 0.025 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , , 25/0.025 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण एवं अप्रार्थी न0 3 की खातेदारी भूमि प0न0 64/381 मु0न0 26 के किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण होते हुये वर्तमान में चल रहे रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन किया जा रहा है । लेकिन उक्त वर्तमान में 'चल' रहा रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीया काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी न0 1 ता 3 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करती आ रही है । वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीया को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी न0 1 व 2 की संयुक्त खाता की भूमि प0न0 65/380 मु0न0 8 के किला नं0 15/3 में 0.0225 है0 (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , 16-25 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 16 में 0.025 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , , 25/0.025 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण एवं अप्रार्थी न0 3 की खातेदारी भूमि प0न0 64/381 मु0न0 26 के किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण होते हुये वर्तमान में चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहती है। उक्त रास्ता स्वीकृत करने में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 सहमत व रजामन्द है । प्रार्थीया के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है। इसके अलावा प्रार्थीया को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य रास्ता नहीं है। रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थीया को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।




प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68-70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक एव पटवारी हल्का अमरपुरा जाटान द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 ता 3 जरिये अभिभाषक राजवीर भादू उपस्थित हुये ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त रास्ता स्वीकृत करने में कोई एतराज नहीं है ।

इसके पश्चात प्रार्थीया एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 3 के अभिभाषकगण एव परोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थीया के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 151/6 में 2.277 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 60/21 में 4.415 है0 अ0क0 मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 153/6 में 1.265 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 3 के नाम भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 154/6 में 0.506 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थीया अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एस एल डी में सूरतगढ से श्री विजयगनर चल रही पक्की रोड़ से अप्रार्थी सं0 1 व 2 की संयुक्त खाता की भूमि प0न0 65/380 मु0न0 8 के किला न0 15/3 में 0.0225 है0 (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , 16-25 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 16 में 0.025 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण , , 25/0.025 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण एवं अप्रार्थी न0 3 की खातेदारी भूमि प0न0 64/381 मु0न0 26 के किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण होते हुये वर्तमान में चल रहे रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन किया जा रहा है । लेकिन उक्त वर्तमान में चल रहा


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीया काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी न0 1 ता 3 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करती आ रही है। वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीया को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थीया उक्त वर्तमान में चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहती है। उक्त रास्ता स्वीकृत करने में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 सहमत व रजामन्द है। रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थीया को आये दिन परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त रास्ता स्वीकृत करने में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई। रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपत्ति पेश नहीं की।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के नाम से खातेदारी भूमि वाके वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्मत 2070 ता 2073 के खाता सं0 151/6 में 2.277 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चक 13 एस एल डी में सूरतगढ से श्री विजयगनर चल रही पक्की रोड़ चल रही है। तथा इस रास्ता से अप्रार्थी सं0 1 व 2 की संयुक्त खाता की भूमि प0न0 65/380 मु0न0 8 के किला न0 15/3 में 0.0225 है0 (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 16-25 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 16 में 0.025 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 25/0.025 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण एवं अप्रार्थी न0 3 की खातेदारी भूमि प0न0 64/381 मु0न0 26 के किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण होते हुये वर्तमान में चल रहे रास्ता ही प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन का एक मात्र माध्यम है। पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरीक्षक भैरूपुरा एवं हल्का पटवारी अमरपुरा जाटान द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीया को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक रास्ता का अभाव है। प्रार्थीया के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। चक 13 एस एल डी के प0न0 65/380 मु0न0 8 के किला न0 15/3 में 0.0225 है0 (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 16-25 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 16 में 0.025 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 25/0.025 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण एवं प0न0 64/381 मु0न0 26 के किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम खातेदार भूमि चक 13 एस एल डी के प0न0 65/380 मु0न0 8 के किला न0 15/3 में 0.0225 है0 (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 16-25 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण अप्रार्थी सं0 1 व 2, प0न0 65/381 मु0न0 25 के किला न0 16 में 0.025 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 25/0.025 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण अप्रार्थी सं0 1 एवं प0न0 64/381 मु0न0 26 के किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण भूमि अप्रार्थी सं0 3 के नाम से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / राजस्व/ 45/2025/ 21.03.25/1710

दिनांक :- 21.03.2025

तहसीलदार राजस्व
सूरतगढ

विषय:- अनवान प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्र० सं० 45/2025 अनवान सुमन बनाम राकेश कुमार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 की पालना करने हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर चक 13 एस एल डी के प०न० 65/380 मु०न० 8 के किला न० 15/3 में 0.0225 है० (सड़क के मध्य से) पूर्वी पासा उतर से दक्षिण , 16-25 प्रत्येक में 0.050 है० पूर्वी पासा उतर से दक्षिण , प०न० 65/381 मु०न० 25 के किला न० 5-6-15 प्रत्येक में 0.050 है० पूर्वी पासा उतर से दक्षिण अप्रार्थी सं० 1 व 2 , प०न० 65/381 मु०न० 25 के किला न० 16 में 0.025 है० पूर्वी पासा उतर से दक्षिण , , 25/0.025 है० पूर्वी पासा उतर से दक्षिण अप्रार्थी सं० 1 एवं प०न० 64/381 मु०न० 26 के किला न० 20 में 0.025 है० पश्चिम पासा उतर से दक्षिण भूमि अप्रार्थी सं० 3 के नाम से कलमजन कर गै०मु० रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया गया है । किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर नियमानुसार स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
सूरतगढ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ (श्रीगंगानगर)